प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2023
शिविर स्थल – ग्राम पंचायत समेजा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कैम्प ग्राम पं. समेजा

पीठासीन अधिकारी :– जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर, आई.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 12/2022
जीसीएमएस : 2022/267

1. लालचन्द पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी 14 आरबी हाल 5 ई 276, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकनेर तहसील व जिला बीकानेर

– प्रार्थी

बनाम

1. करनैल कौर पत्नी जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. जसवन्त सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. अमृतपाल सिंह पुत्र बलराज सिंह
4. गुरमीत सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
5. दिलजीत कौर पत्नी गुरमीत सिंह
6. बलराज सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
7. यादवीर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह
8. रमनजीत कौर पत्नी अमृतपाल सिंह
9. कर्म सिंह पुत्र गुरदीप सिंह
10. गुरसेवक सिंह पुत्र वकील सिंह
11. जसविन्द्र कौर पत्नी वकील सिंह

(3 से 11) } जाति जटसिख निवासीगण 13 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

12. सुरजन सिंह पुत्र गुरदीप सिंह (मृतक)
    12/1. बलदेव कौर पत्नी सुरजन सिंह
    12/2. अमरजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह
    12/3. हरचरण सिंह पुत्र सुरजन सिंह

(12/1 से 12/3) } जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 14, श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

13. हरदयाल सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 13 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
14. बीरबल पुत्र रतीराम जाति नायक निवासी 14 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
15. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–
1. श्री मनिन्द्र कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अजीत सुथार, अधिवक्ता अप्रार्थीगण
3. एकपक्षीय अप्रार्थी सं. 12/3 व 14

:: निर्णय ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.06.23 16:39:04 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 30.05.2023

संक्षेप में प्रकरण [illegible] है कि –

1. प्रार्थी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर [illegible] आरबी खाता सं. 100 प.नं. 200/244 मु.नं. 11 कि.नं. 3 ता [illegible] 24–25 की कुल 3.163है0 [illegible] भूमि में पहुंच के प्रयोजनार्थ अबादी से स्वीकृतशुदा रास्ता जो मु.नं. 9 के कि[illegible] व अनावेदक तक स्वीकृत हैं से आगे आवेदक के मु.नं. 11 के कि.नं. 24–25 व अनावेदक बीरबल के मु.नं. 11 के कि.नं. 21 ता 23 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा दक्षिणी पासा एवं अनावेदकगण सं. 1 ता 13 की भूमि मु.नं. 10 कि.नं. 21/2/0.025है. खाला,

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

22/2/0.025है. खाला, 23/3/0.012है. खाला, 23/4/0.013है. खाला, 24/2/0.025है. खाला, 25/2/0.025है. खाला को खाला निरस्त कर दो–दो बिस्वा दक्षिणी पासा चालू रास्ता बिना किसी मुआवजा के स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 11, 12/1–12/2 व 13 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनावेदक की चक 14 आरबी मु.नं. 10 के कि.नं. 21/2 ता 25/2 खाला निरस्त कर दो दो बिस्वा दक्षिणी पासा चालू अस्वीकृत रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 12/3 के विरूद्ध दिनांक 03.01.2023 एवं अप्रार्थी सं. 14 के विरूद्ध दिनांक 30.09.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी हैं। जवाब अप्रार्थी सं. 15 का जवाब पेश नहीं हुआ हैं, रिपोर्ट क्रमांक/1730 दिनांक 08.09.2022 प्राप्त हो चुकी हैं।

3. प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/राजस्व/2023/898 दिनांक 18.04.2023 के अनुसार प्रार्थी चक 14 आरबी के मु.नं. 10 व 11 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.025–0.025है. रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता हैं। उक्त कि.नं. में मौके पर रास्ता चालू है तथा मु.नं. 8 व 9 कि.नं. 21 ता 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता से निकटतम दूरी पर हैं। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु इस चालू रास्ता के अलावा अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा मु.नं. 10 के कि.नं. 21 ता 25 में दर्ज खाला को निरस्त कर रास्ता स्वीकृत करने की मांग की है, जिसके संबंध में सिंचाई विभग से रिपोर्ट ली जानी उचित हैं। मौके पर मु.नं. 10 के कि.नं. 22 ता 25 में कच्चा खाला भी चालू हालात में हैं। सहायक अभियंता जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक/1730 दिनांक 08.09.2022 के अनुसार चक 14 आरबी मु.नं. 10 प.नं. 201/244 कि.नं. 21 से 25 में कोई जलमार्ग मौका पर सुचारू नहीं हैं तथा न ही विभागीय चक प्लान अनुसार मु.नं. 10 में कोई जलमार्ग स्वीकृत हैं।

4. वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष पक्षकारान की सहमति अनुसार रास्ता स्वीकृत करने के लिए निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 12/3 व 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी हैं। प्रार्थी द्वारा मु.नं. 10 कि.नं. 21 से 25 में खाला निरस्त कर रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया है, जिस अप्रार्थीगण द्वारा सहमति व्यक्त की गयी हैं। अप्रार्थी सं. 15 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर उक्त मु.नं. 10 कि.नं. 21 से 25 में विभागीय प्लान अनुसार कोई जलमार्ग स्वीकृत नहीं होने से अवगत करवाया हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु इस चालू रास्ता के अलावा अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं होने का अंकन किया हैं। ऐसी स्थिति में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित हैं। रिकार्ड में भूमि अप्रार्थी सं. 12 सुरजन सिंह (मृतक) के वारिसान अप्रार्थी [illegible] 12/2 के द्वारा रास्ता स्वीकृति हेतु सहमति दी है। अप्रार्थी सं. 12 [illegible] के [illegible] एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी हैं। अप्रार्थीगण [illegible] बिना किसी मुआवजे के उनकी भूमि में खाला निरस्त कर [illegible] सहमति प्रदान कर निवेदन किया हैं। अप्रार्थी सं. 14 बीरबल [illegible] रामीराम के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी हैं, प्रकरण में अप्रार्थी की भूमि में से बिना मुआवजा के रास्ता स्वीकृत करने की सहमति नहीं हैं, इस कारण अप्रार्थी सं. 14 को प्रार्थी से रास्ता में आई भूमि की एवज में मुआवजा दिलवांया जाना उचित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.06.23 16:39:04 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2023
शिविर स्थल – ग्राम पंचायत समेजा

–: क्रियान्वयन आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा चक 14 आरबी 11 के कि.नं. 21 ता 25 में प्रत्येक में दो–दो बिस्वा यानि 0.025है. दक्षिणी पासा गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं तथा चक 14 आरबी के मु.नं. 10 के कि.नं. 21/2/0.025है. खाला, 22/2/0.025है. खाला, 23/3/0.012है. खाला, 23/4/0.013है. खाला, 24/2/0.025है. खाला, 25/2/0.025है. खाला को निरस्त कर दो–दो बिस्वा दक्षिणी पासा गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। अप्रार्थी सं. 1 से 13 को कोई मुआवजा देय नहीं होगा। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 14 को अप्रार्थी की रास्ता में आई भूमि की एवज में रास्ते में आई भूमि की डी.एल.सी. दर की दो गुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थी से प्रतिकर राशि जमा कर नियमानुसार अप्रार्थी सं. 14 को भुगतान करें एवं स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.05.2023 को लिखाया जाकर मजमा ए आम में सुनाया गया।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
कैम्प समेजा

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.06.23 16:39:04 IST
Reason: SelfAttested